

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- M 16 / 20 19

धारा-107 द०प्र०सं०

भारत सरकार

बनाम

जुलस द्वारा वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं  
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई  
एवं टिपणी तारीख सहित


अभिलेख सं०-एम 16 / 20 19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी दशम कान्त के अप्राथमिकी सं०- 03/19 दिनांक- 17-03-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि लोक सभा चुनाव 2019 में मतदान करने में व्यवधान डालने की संभावना है।


जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 01/04/19 को उपस्थापित करें।


लेखापित एवं संशोधित।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।


25-04-19

अभिलेख उपस्थापित। विपरीत  
उपस्थित। दिनांक 03-05-19 को  
रखा।

  
25/04/19


03-05-19

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक पर  
उपस्थित। दिनांक 14-05-19 को  
रखा।

  
03/05/19


14-05-19

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक पर  
उपस्थित। दिनांक 25-05-19 को  
रखा।

  
14/05/19

25-05-19

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक पर  
उपस्थित। लोकसभा चुनाव-2019 शान्ति  
पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है।  
अतः बाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द  
की गयी है।

  
25/05/19